राज्यय सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या2850

23 दिसम्बिर 2015 को उत्त र के लिए

निजी क्षेत्र में इस्पात संयंत्र स्थापित करना

2850. **श्री अम्बेथ राजन:**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान देश में निजी क्षेत्र में स्थापित किए गए इस्पात संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) निजी क्षेत्र में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा दी गई रियायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार से अनेक प्रकार की रियायतें प्राप्त करने वाले निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में नियोजित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में कोई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति नियोजित नहीं है तो सरकार ने इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की है?

उत्तजर

इस्पाित और खान राज्य् मंत्री (श्री विष्णुत्देव साय)

(क) और (ख): इस्पानत एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और इसलिए देश में किसी भी इस्पाुत संयंत्र की स्थाित्पना बाजार गतिशीलता और उद्योगपति की निवेश क्षमता द्वारा नियंत्रित होती है। गत पॉच वर्षों के दौरान निजी क्षेत्र में क्रूड इस्पा्त का उत्पा दन करने वाले इस्पा त संयंत्रों की यूनिटों के ब्यौित्रे नीचे दिए गए हैं:-

क्रम सं.	वर्ष	यूनिटों की संख्यान
1.	2010-11	1359
2.	2011-12	1371
3.	2012-13	1387
4.	2013-14	1318
5.	2014-15	1300
स्रोत : जेपीसी		

(ग) और (घ): भारत सरकार निजी क्षेत्र में इस्पा त संयंत्र की स्थाापना के लिए कोई रियायत प्रदान नहीं करती है। तथापि, इस्पाात एक नियंत्रणमुक्तइ क्षेत्र होने के नाते सरकार निजी इस्पाएत संयंत्रों में समाज के किसी वर्ग के लिए रोजगार के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है।

***